

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,  
उप सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियों, उ०प्र०,  
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 04 सितम्बर, 2012.

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई०सी०सी०एम०आर०टी०, लखनऊ को शासन द्वारा देय सदस्यता शुल्क की द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-170/शिक्षा-बजट, दिनांक 29 अगस्त 2012 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-973/49-3-2012-100(15)/2006 दिनांक 15-6-2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०सी०सी०एम०आर०टी०, लखनऊ को शासन द्वारा देय वार्षिक सदस्यता शुल्क/अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 6.67 लाख (रूपये छः लाख सड़सठ हजार मात्र) की द्वितीय किश्त की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था/नियमों के अधीन आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-003-प्रशिक्षण-05-सहकारी षोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान-00-20-सह प्रता अनुदान/सामान्य (गैर वेटिंग) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-637/दस-2/12, दिनांक 04 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)  
उप सचिव।

संख्या-2068(1)/49-3-2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 5- वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, आई०सी०सी०एम०आर०टी०, लखनऊ।
- 7- वेब मास्टर, निबन्धक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)  
उप सचिव।

65/02/2012  
07.9.12